"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6888/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित किये जाने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005" कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा. 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973).

धारा -4 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा-4 (पच्चीस) का लोप किया जाय.

धारा-19 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा-19 (एक) का लोप किया जाय.

धारा-20 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा-20 का लोप किया जाय.

धारा-21 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा-21 का लोप किया जाय.

धारा-22 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा-22 का लोप किया जाय.

धारा-23 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा-23 की उपधारा (एक) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय :—

"(एक-अ) राज्य विधान सभा द्वारा मनोनीत राज्य विधानमण्डल के पांच सदस्य".

धारा-47 का संशोधन. 9. मूल अधिनियम की धारा-47 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाय :—

"विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य-परिषद् द्वारा, उस तिथि अथवा उसके पूर्व पारित किया जायेगा, जैसा कि परिनियम द्वारा विहित किया जाय, विश्वविद्यालय उसके पश्चात् उक्त वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति राज्य शासन को भेजेगा, और राज्य शासन यथाशीघ्र उसे राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखेगा."

धारा-48 का संशोधन. 10. मूल अधिनियम की धारा-48 की उपधारा (2) में "सभा" शब्द का लोप किया जाय.

धारा-52 का संशोधन. 11. (i) मूल अधिनियम की धारा-52 की उपधारा (1) में शब्द एवं अंक "20 से 25" के स्थान पर शब्द एवं अंक "23 से 25" प्रतिस्थापित किये जायें.

(ii) मूल अधिनियम की धारा 52 में शब्द "सभा" जहां भी वह आये, उसे लोप किया जाये.

तृतीय अनुसूची का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के पैरा-2 में धारा 20, 21 एवं 22 का लोप किया जाय.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6888/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2005)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act to amend The Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty sixth year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005. **Short title & Commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. In this Act unless context otherwise requires :— **Definition.**

"Principal Act" means The Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

3. Sub-section (xxv) of section 4 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 4 (xxv).**

4. Sub-section (i) of section 19 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 19 (i).**

5. Section 20 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 20.**

6. Section 21 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 21.**

7. Section 22 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 22.**

8. For section 23 of the Principal Act the following shall be inserted after sub-section (i) :— **Amendment of Section 23.**

"(iA) Five members of the State Legislative Assembly to be nominated by State Legislative Assembly."

Amendment of Section 47. 9. For section 47 of the Principal Act the following shall be substituted :—

"The annual report of the University shall be passed by the Executive Council on or before such date as may be prescribed by the Statutes. The University shall thereafter, send a copy of the annual report to the State Government and the State Government shall, as soon as may be, cause the same to be laid on the table of the State legislative Assembly".

Amendment of Section 48. 10. In sub-section (2) of section 48 of the principal Act, the word "Court" shall be omitted.

Amendment of Section 52. 11. (i) In sub-section (1) of section 52 of the Principal Act, for the word and figures "20 to 25" the word and figures "23 to 25" shall be substituted.

(ii) In section 52 of the Principal Act, wherever the word "Court" occurs, it shall be omitted.

Amendment of third schedule. 12. In the para (2) of the third schedule of the principal Act, section 20, 21 and 22 shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.